

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/आर०सी०एच० रजिस्टर/2015-16/51-आर/11402-75 दिनांक: 05/02/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में एम०सी०टी०एस० फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु निर्धारित आर०सी०एच० रजिस्टर की प्रिंटिंग हेतु धनराशि आवंटन एवं व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2017-18 (ROP F.No. 10(7)/2017-NHM-I Dated 06.06.2017) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यकारी समिति की 99वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के एजेण्डा मद संख्या 99.70 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या बी15.3.2.1 "प्रिंटिंग ऑफ आर०सी०एच० रजिस्टर" हेतु बजट स्वीकृत किया गया है :-

भारत सरकार के पत्रांक D.O No M.12013/3/2017-MMPC Date: 30th November, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में आर०सी०एच० रजिस्टर में कतिपय संशोधन किए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष हेतु आर०सी०एच० रजिस्टर का मुद्रण किया जाना है। रजिस्टर के प्रत्येक भाग को भरने हेतु पृष्ठों की संख्या का निर्धारण VHND & UHND सत्र के आधार पर मासिक समेकित शीट एवं परिवार नियोजन भाग में कतिपय कालों का समावेश किया गया है। उक्त रजिस्टर की सॉफ्ट प्रिंट www.upnrhm.gov.in के download अनुभाग में उपलब्ध हैं। रजिस्टर मुद्रण हेतु तकनीकी स्पेशीफिकेशन निम्नवत् है:-

Specifications are as under:

- Size 11" X 12" (in place of 11" X 17")
- Inner page: 90 GSM
- Inner cover page: 120 GSM
- Outer cover: 170 GSM art card laminated" (in place of Gatta 24 ounce)

आर०सी०एच०/एम०सी०टी०एस० फैसिलिटी बेस्ड पोर्टल पर शत प्रतिशत रिपोर्टिंग के अन्तर्गत इस बजट का उपयोग स्वास्थ्य इकाइयों को रिपोर्टिंग हेतु आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है। उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B15.3.2.1 (Printing of RCH registers)

S. No.	District Name	Number of Registers to be printed	Cost @Rs. 250/- per register (Rs.)	Total Budget for printing of RCH Register as per the guidelines (Rs.)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5=Col.3 x Col.4
1	Agra	4473	250	1118250
2	Aligarh	3751	250	937750
3	Allahabad	6086	250	1521500
4	Ambedkar N	2449	250	612250
5	Amethi	1850	250	462500
6	JP Nagar	1877	250	469250
7	Auraiya	1401	250	350250
8	Azamgarh	4714	250	1178500
9	Bagpat	1329	250	332250
10	Bahraich	3552	250	888000
11	Ballia	3292	250	823000
12	Balrampur	2194	250	548500
13	Banda	1837	250	459250
14	Barabanki	3327	250	831750
15	Bareilly	4560	250	1140000
16	Basti	2513	250	628250
17	Bijnor	3762	250	940500
18	Budaun	3260	250	815000
19	Bulandshahar	3572	250	893000
20	Chandauli	1994	250	498500
21	Chitrakoot	1011	250	252750
22	Deoria	3164	250	791000
23	Etah	1798	250	449500

S. No.	District Name	Number of Registers to be printed	Cost @Rs. 250/- per register (Rs.)	Total Budget for printing of RCH Register as per the guidelines (Rs.)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5=Col.3 x Col.4
24	Etawah	1612	250	403000
25	Faizabad	2520	250	630000
26	Farrukhabad	1927	250	481750
27	Fatehpur	2688	250	672000
28	Firozabad	2549	250	637250
29	G B Nagar	1710	250	427500
30	Ghaziabad	3450	250	862500
31	Ghazipur	3699	250	924750
32	Gonda	3504	250	876000
33	Gorakhpur	4530	250	1132500
34	Hamirpur	1127	250	281750
35	Hapur	1310	250	327500
36	Hardoi	4178	250	1044500
37	Hathras	1468	250	367000
38	Jalaun	1706	250	426500
39	Jaunpur	4571	250	1142750
40	Jhansi	2043	250	510750
41	Kannauj	1693	250	423250
42	Kanpur Dehat	1833	250	458250
43	Kanpur Nagar	4670	250	1167500
44	Kashganj	1598	250	399500
45	Kaushambi	1630	250	407500
46	Kushinagar	3636	250	909000
47	Lakhimpur K	4098	250	1024500
48	Lalitpur	1243	250	310750
49	Lucknow	4685	250	1171250
50	Maharajganj	2721	250	680250
51	Mahoba	894	250	223500
52	Mainpuri	1886	250	471500
53	Mathura	2595	250	648750
54	Mau	2252	250	563000
55	Meerut	3520	250	880000
56	Mirzapur	2547	250	636750
57	Moradabad	3204	250	801000
58	Muzaffarnagar	2737	250	684250
59	Pilibhit	2080	250	520000
60	Pratapgarh	3241	250	810250
61	Rae Bareli	2979	250	744750
62	Rampur	2385	250	596250
63	Saharanpur	3537	250	884250
64	Sambhal	2201	250	550250
65	Sant K Nagar	1750	250	437500
66	SRavidas N	1587	250	396750
67	Shahjahanpur	3066	250	766500
68	Shamli	1489	250	372250
69	Shrawasti	1138	250	284500
70	Siddharth N	2607	250	651750
71	Sitapur	4569	250	1142250
72	Sonbhadra	1902	250	475500
73	Sultanpur	2517	250	629250
74	Unnav	3176	250	794000
75	Varanasi	3760	250	940000
Total		203784	250	50,946,000

रु 5,09,46,000.00 (रुपये पाँच करोड़ नौ लाख छियालीस हजार मात्र)

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार समस्त "प्रिंटिंग ऑफ आर०सी०एच० रजिस्टर" हेतु धनराशि रु 5,09,46,000.00 (रुपये पाँच करोड़ नौ लाख छियालीस हजार मात्र) जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच०एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ०एम०आर० कोड संख्या 15.3.2.1 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, बैंक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 रजिस्टर/2015-16/51-आर/

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0—एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक(एम0आई0एस0)